

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./XV/44/2021/ 4190

Date : 01.09.2021

To : All the District and Sessions Judges.

Sub. : Regarding expeditious disposal of cases u/s 138 of the N.I Act.

Sir,

I am to state that to invite valuable suggestions of all the stakeholders regarding expeditious disposal of cases under section 138 of N.I. Act, Hon'ble E-committee of Supreme Court of India has shared a link i.e. (<https://mygov.in/mygov-survey/survey-speedy-disposal-cheque-bouncing-cases/>).

You are therefore requested to display the same on the website of your judgeship and on notice boards of all the courts of your judgeship and circulate it amongst all the subordinate Courts under your jurisdiction and also to the Bar Association of your judgeship to display the link on the notice board, for responses / suggestions of the stakeholders on expeditious disposal of cases u/s 138 of the N.I. Act, as desired on the above link.

Yours sincerely,

REGISTRAR (RULES)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां (राज.)

क्रमांक : स्था./1434

दिनांक:- 02.09.2021

प्रति अग्रलिखित को जरिये ई-मेल भेजकर लेख है कि उक्त पत्र की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बारां
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 बारां/क्रम-2 बारां/छबड़ा/अटरू
3. विशिष्ट न्यायाधीश (एससी/एसटी केसेज) बारां
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
5. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां
6. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/क्रम-2 छबड़ा
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद/अटरू/मांगरोल/शाहाबाद
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां/अटरू/किशनगंज/अन्ता
9. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू
11. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बारां/अटरू/छबड़ा/छीपाबड़ौद/अन्ता/किशनगंज/मांगरोल/शाहाबाद को तालुका मुख्यालय अवस्थित वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रति उपलब्ध करवायी जावे।
12. श्री लोकेश चणोदिया, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बारां को निर्देश हैं कि पत्र की प्रति जिला न्यायालय बारां की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बारां (राज.)